Volume: 4 Issue: 7 Pages: 171-173

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता एवम् क्रियान्वयन का अध्ययन

***[1] डॉ. रीटा झाझड़िया**

*[1] सह आचार्य, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 07/June/2025
Accepted: 08/July/2025

***Corresponding Author**
डॉ. रीटा झाझड़िया
सह आचार्य, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश:
महिला एवम् पुरूष दोनों ही समाज के सदस्य है, परन्तु हमारे समाज की शिक्षा, संस्कृति, धर्मनीति इत्यादि ने महिला का विश्लेषण किया है। नारी को हमारे समाज में सम्मानजनक स्थान दिया है। परिवार की धुरी नारी है, युग चाहे जो भी रहा हो, समाज का विकास नारी के विकास पर ही आधारित रहा है। मनु स्मृति में नारी की महत्ता का विवेचन इस प्रकार किया गया है:-

''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः,
यत्रैत्रास्तु नपूजयन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः।''

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है और आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के 100 स्नातक महाविद्यालयों की छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

मुख्ये शब्दः स्नातक स्तर, महिला उत्पीड़न, जागरूकता, क्रियान्वयन, कानूनी प्रावधान, प्रादुर्भाव, अनुपलब्धता

प्रस्तावना:

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये, जिसमें महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती गयी। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है, जितनी की शरीर को जीवित रखने के लिए वायु, जल और भोजन की है। स्त्रियाँ ही पालन-पोषण की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है, फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रही है, उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है, इसी कारण महिलाओं की स्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। वर्तमान परिपेरक्ष्य में देखे तो नारी को दहेज के नाम पर बलात्कार का शिकार बनाकर, मारपीट करके अपना गुलाम बनाना आम बात हो चुकी है। इन सभी के लिए कानून बनाये गये है। यह कितनी दुःखद स्थिति है कि महिलाओं के संरक्षण के पर्याप्त कानून होने के बावजूद भी उनके विरूद्ध अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अपहरण, दहेज हत्या महिला उत्पीड़न एवम् यौन शेषण से जुड़े मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

अतः यह अध्ययन इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, जिससे हम समाज मे व्याप्त असमानता, असामाजिकता एवम् महिलाओं की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत कर उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर पायेंगे। इस अध्ययन का औचित्य इस दृष्टि से सार्थक होगा कि महिलाऐं में अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नव-चेतना का प्रादूर्भाव अपने अस्तित्त्व के प्रति विकसित कर सकेगी। महिलायें अपने अस्तित्त्व को समझ सकेगी, उनमें साहस की वृद्धि होगी, उनका नैतिक, चारित्रिक एवम् सामाजिक विकास हो सकेगा। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त विषय में अध्ययन के लिए स्नातक स्तर की छात्राओं और शिक्षिकाओं का चयन किया है, क्योंकि स्नातक स्तर की छात्राएँ भावी जीवन की सूत्रधार है और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान व उनकी सुरक्षा के लिए बनाये गये कानूनों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। इन्हीं बातों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से इस समस्या को युक्ति संगत समझा और अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाया।

समस्या कथन

''स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी सावधानों के प्रति जागरूकता एवम् क्रियान्वयन का अध्ययन''

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

1. **स्नातक स्तर:-** स्नातक स्तर से तात्पर्य है कि जब विद्यार्थी 102 की परीक्षा को पास करने के पश्चात् तीन वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश लेता है।
2. **जागरूकता:-** जागरूकता से तात्पर्य किसी कार्य या स्थिति के प्रति जागरूक सचेतना की आवश्यकता से है। इसमें अमुक को किसी कार्य के प्रति या स्थिति के प्रति कितनी जानकारी है, उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, को जानना ही जागरूकता है।
3. **महिला उत्पीड़न:-** महिला उत्पीड़न से तात्पर्य है कि ऐसी आक्रामक प्रकृति या व्यवहार है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं के साथ भेदभाव व शोषण तथा अवांछनिय व्यवहार किया जाता है।
4. **कानूनी प्रावधान:-** कानूनी प्रावधान से तात्पर्य है कि वे प्रावधान जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित व संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों और पाबंदियों और अधिकारों की संहिता होते है। ये वे नियम होते है, जो राज्य द्वारा स्वीकृत और लागू किये जाते है, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका द्वारा दण्ड दिया जाता है।

समस्या से उभरने वाले प्रश्न

1. क्या स्नातक स्तर की छात्रायें महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक है?
2. क्या स्नातक स्तर की छात्रायें महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रति जागरूक है?

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और सांवेंिगक उत्पीड़न) से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं से महिला उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और सांवेगिक उत्पीड़न) से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त परिकल्पनायें

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत शहरी एवम् ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और सांवेगिक उत्पीड़न) से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत शहरी एवम् ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और सांवेगिक उत्पीड़न) से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति क्रियान्वयन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध कार्य में जनसंख्या में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की स्नातक महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

शोध में चयनित न्यादर्श

प्रस्तुत शोध के लिए न्यादर्श के रूप में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की 100 छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 50 शहरी क्षेत्र की छात्रायें एवम् 50 ग्रामीण क्षेत्र की छात्रायें है।

न्यादर्श चयन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श चयन के लिए यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन के चर

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो चर है, जो निम्न प्रकार है:-
(अ) स्वतंत्र चर:- महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान है।
(ब) आश्रित चर:- जागरूकता एवम् क्रियान्वयन है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु मध्यमान प्रमाप विचलन व सी.आर. परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन का सीमांकरण (परिसीमन)

1. **क्षेत्र:-** यह अध्ययन जयपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया है।
2. **लिंग:-** यह अध्ययन स्नातक स्तर की छात्राओं पर किया गया है।
3. **न्यादेश:-** इस अध्ययन के लिये चयनित स्नातक स्तर पर अध्ययनरत 100 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में चुना गया है।

निष्कर्ष:

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और सांवेगिक उत्पीड़न) से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है, जबकि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न के आयाम, आर्थिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया है। इसका कारण सम्भवतः ग्रामीण छात्राओं के पास सूचना के पर्याप्त स्रोत की अनुपलब्धता, संस्थानों की अनुपलब्धता तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की स्वतंत्रता न होना हो सकता है।
स्नातक स्तर पर अध्ययनरत शहरी और ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न के आयाम सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति क्रियान्वयन में सार्थक अन्तर है, इसका कारण सम्भवतः ग्रामीण छात्रायें नवीन एवम् अघतन सूचनाओं और जानकारियों को प्राप्त करने में रूचीशील नहीं है।

सुझाव:

1. महाविद्यालयों एवम् विद्यालयों में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी समय-समय पर विद्यार्थीयों को उपलब्ध करवानी चाहिये।
2. शिक्षण संस्थानों में सामाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।
3. शिक्षण संस्थानों में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रावधानों पर आधारित सेमीनार, कार्यशाला एवम् संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिये।
4. पाठयक्रम में भी सभी प्रावधानों और धाराओं के साथ कानूनी कृत्यों पर एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

सन्दर्भ सूची:

1. महिला सशक्तिकरण (2009) उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, सरदार शहर: विद्या मन्दिर पृष्ठ संख्या-176
2. नाटाणी, प्रकाश नारायण (2008) महिला उत्पीड़न- विविध उपचार, पृष्ठ संख्या-5
3. सविता सिंह ‘‘नारी शक्ति का प्रतीक‘‘ गांधी स्मृति एवम् दर्शन स्मृति, पृष्ठ संख्या-23
4. आहुजा राम: ‘‘सामाजिक समस्याऐं‘‘ पृष्ठ संख्या-240
5. नारायण संजीव (2021) ष्स्ं- वितवउंद पद प्दकपंष् गुरूग्राम (हरियाणा)।
6. बेस्ट जोन डब्ल्यू (1959) रिसर्च इन एज्यूकेशन, पृष्ठ संख्या-31
7. सुमित्रा (2018) भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं अपराध प्दजमतदंजपवदंस रवनतदंस वबतमंसपअम त्मतमंतमी ज्वनही ;प्श्रब्ज्द्ध ब् ;1द्ध 556.561ण्
8. चटर्जी, मोहिनी (2016), वूमेन्स ह्यूमन राईट्स, जयपुर अविष्कार पंब्लिशर्स